राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर
फोन : 2227513, 2227514, 2227851, 2227665, ई–मेल : rajseedsprod@gmail.com

क्रय नीति

संचालक मण्डल की 222 वी बैठक दिनांक 25.03.2021 तक किये गये समस्त संशोधनों का समावेश करते हुए खरीफ 2021 के बीज उत्पादन से प्रभावी होने वाली क्रय नीति निम्नानुसार जारी की जाती है :–

सम्बन्धित मण्डी विवरण

निम्न फसलों हेतु समस्त इकाईयों के लिए निम्न मण्डियों की दरें देय होंगी।

1. मोठ – नोखा (बीकानेर) मण्डी।
2. सोयाबीन – कोटा, बारां, झालावाड व हिण्डोन हेतु कोटा मण्डी तथा चित्तौडगढ, उदयपुर, भीलवाडा व बांसवाडा हेतु निम्बाहेड़ा मण्डी।
3. चँवला – सीकर मण्डी।
4. धान – बूंदी मण्डी।
5. धनिया – रामगंज (कोटा) मण्डी।
6. जीरा व ईसबगोल – जोधपुर मण्डी।
7. सौंफ – बिलाड़ा मण्डी।
8. जायद मूंग – केकड़ी मण्डी।
9. तिल – गंगापुर सिटी मण्डी/सवाईमाधोपुर।
10. मूंगफली – बीकानेर मण्डी।

उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त अन्य सभी फसलों हेतु इकाईवार मण्डियां निम्नानुसार होंगी।

1. **ढिंढ़ोल (जयपुर) यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए चौमूँ मण्डी, आवक नहीं होने पर बस्सी मण्डी।
2. **तबीजी (अजमेर) यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए अजमेर मण्डी आवक नहीं होने पर किशनगढ़ मण्डी।
3. **दूनी यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए टोंक मण्डी। आवक नहीं होने पर मालपुरा मण्डी।
4. **चित्तौड़गढ़ यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए निम्बाहेड़ा मण्डी व आवक नहीं होने पर प्रतापगढ़ मण्डी।
5. **भीलवाड़ा यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए भीलवाड़ा मण्डी। आवक नहीं होने पर माण्डलगढ़ मण्डी।
6. **उदयपुर यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए उदयपुर मण्डी। आवक नहीं होने पर फतहनगर मण्डी।
7. **बांसवाड़ा यूनिट** : उदयपुर इकाई के समान क्रय दर देय।
8. **कोटा/बारां/झालावाड़** : अन्य सभी फसलों के लिए कोटा मण्डी। आवक नहीं होने पर बून्दी मण्डी

9. **मण्डोर (जोधपुर) यूनिट** : मूंग के लिए मेड़ता मण्डी, अन्य सभी फसलों के लिए जोधपुर मण्डी।

10. **सुमेरपुर यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए सुमेरपुर मण्डी। आवक नहीं होने पर पाली मण्डी।

11. **मोहनगढ़ यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए मोहनगढ़ मण्डी। आवक नहीं होने पर जोधपुर इकाई के समान दरे देय।

12. **नागौर यूनिट** : चना के लिए बीकानेर मण्डी, मूंग के लिए मेड़ता सिटी मण्डी। अन्य सभी फसलों के लिए नागौर मण्डी।

13. **भरतपुर यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए भरतपुर मण्डी। आवक नहीं होने पर खेड़लीगंज मण्डी।

14. **अलवर यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए अलवर मण्डी। आवक नहीं होने पर प्रथम खेड़लीगंज मण्डी।

15. **हिण्डौन सिटी यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए हिण्डौन सिटी मण्डी। आवक नहीं होने पर गंगापुर सिटी मण्डी।

16. **श्रीगंगानगर यूनिट** : अन्य सभी फसलों के लिए श्रीगंगानगर मण्डी। आवक नहीं होने पर हनुमानगढ़ टाउन मण्डी।

17. **श्रीकरणपुर यूनिट** : श्रीगंगानगर इकाई के समान क्रय दर देय।

18. **सूरतगढ़ यूनिट** : चना के लिए बीकानेर मण्डी। पीलीबंगा क्षेत्र के लिए कपास क्रय हेतु हनुमानगढ़ इकाई की दरें। अन्य सभी फसलों के लिए श्रीगंगानगर इकाई की दरें देय।

19. **हनुमानगढ़ यूनिट** : चना के लिए नोहर मण्डी। अन्य सभी फसलों के लिए हनुमानगढ़ टाउन मण्डी। आवक नहीं होने पर श्रीगंगानगर इकाई की दरें देय।

20. **लक्ष्मणगढ़(सीकर) यूनिट** : अन्य सभी फसलों हेतु सीकर मण्डी। आवक नहीं होने पर श्रीमाधोपुर मण्डी की दरें देय।

नोट :– यदि उपरोक्त मण्डियों में किसी फसल की आवक नहीं होगी तो उस इकाई के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मण्डी दर मानते हुये क्रय दर निर्धारित की जावेगी।

फसलवार क्रय दर गणना का आधार

फसल/किस्म	क्रय नीति
बाजरा	
समस्त संकुल किस्म (प्रमाणित बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर की मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर रूपये 2250/– प्रति क्विंटल, 10 वर्ष से अधिक की अधिसूचित किस्मों के लिए रूपये 1000/– प्रति क्विंटल। **विशेष** : जायद हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त ।
समस्त संकुल किस्म (आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम**: 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर रूपये 2350/– प्रति क्विंटल, 10 वर्ष से अधिक की अधिसूचित किस्मों के लिए रूपये 1100/– प्रति क्विंटल। **विशेष** : जायद हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त ।
समस्त संकर किस्म (प्रमाणित बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : रूपये 6100/– प्रति क्विंटल, **विशेष** : जायद हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त ।
नर आधार बीज	: **मण्डी अवधि** : 1 से 31 दिसम्बर, मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : रूपये 1600/– प्रति क्विंटल, **विशेष** : जायद हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त ।
मादा आधार बीज	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, मण्डी दर : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : रूपये 6100/– प्रति क्विंटल, **विशेष** : जायद हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त।
चारा (समस्त संकुल किस्म)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम**: प्रमाणित बीज पर रूपये 1500/– प्रति क्विंटल एवं आधार बीज पर रूपये 1600/– प्रति क्विंटल। **विशेष** : जायद उत्पादन हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त।
ज्वार समस्त संकुल किस्म (प्रमाणित बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर रूपये 2250/– प्रति क्विंटल, 10 वर्ष से अधिक की अधिसूचित किस्मों के लिए रूपये 1000/– प्रति क्विंटल।
समस्त संकुल किस्म (आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम**: 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर रूपये 2350/– प्रति क्विंटल, 10 वर्ष से अधिक की अधिसूचित किस्मों के लिए रूपये 1100/– प्रति क्विंटल।
समस्त संकर किस्म (प्रमाणित बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** :रूपये 4100/– प्रति क्विंटल।
नर आधार बीज	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम**: रूपये 1600/– प्रति क्विंटल।
मादा आधार बीज	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम**: रूपये 4600/– प्रति क्विंटल।

चारा (समस्त संकुल किस्म) : **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** प्रमाणित के लिए रूपये 1500/– प्रति क्विंटल एवं आधार बीज रूपये 1600/– प्रति क्विंटल।

मक्का

समस्त संकुल किस्म (प्रमाणित बीज) : **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** रूपये 750/– प्रति क्विंटल। **विशेष** : रबी उत्पादन हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त।

समस्त संकुल किस्म (आधार बीज) : **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** रूपये 850/– प्रति क्विंटल। **विशेष** : रबी उत्पादन हेतु पूर्व खरीफ की क्रय दर पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त।

समस्त संकर किस्म (प्रमाणित बीज) : बीज उत्पादन का क्रय रॉ सीड आधार पर रूपये 6800/– प्रति क्विंटल की दर से बीज उत्पादकों को भुगतान किया जावेगा।

नर आधार बीज : रॉ सीड के आधार पर क्रय दर रूपये 10000/– प्रति क्विंटल।

मादा आधार बीज : रॉ सीड के आधार पर क्रय दर रूपये 10000/– प्रति क्विंटल।

चारा (समस्त संकुल किस्म) : **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियम** : प्रमाणित बीज पर रूपये 750/– प्रति क्विंटल एवं आधार बीज पर रूपये 850/– प्रति क्विंटल।

मूंग/उड़द/अरहर/चँवला/मोठ

(प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि** : खरीफ फसलों के लिए 1 से 30 नवम्बर एवं जायद फसलों के लिए 15 मई से 15 जून। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दर (मॉडल प्राइस) का औसत।

प्रीमियम

(1) **मूंग**– 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान अनुरूप **प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)**। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

(2) **उड़द व अरहर** – 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर **अनुदान अनुरूप प्रीमियम राशि देय**।(न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

विशेषः <u>जायद मूंग के लिएः</u>–

1. रॉ बीज आधार पर क्रय किया जायेगा।
2. क्रय दर का निर्धारण निर्धारित प्रीमियम में से 20 प्रतिशत की कटौती करके किया जायेगा।
3. क्रय दर, 15 मई से 15 जून के दैनिक आदर्श मण्डी दर के औसत पर या आगामी खरीफ हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो भी अधिक हो के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(3) **चँवला** – 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान अनुरूप **प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)**। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

(4) **मोठ** – 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान अनुरूप **प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)।** 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

ग्वार (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** : 1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, प्रीमियमः सभी किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन पर रूपये 500/–प्रति क्विंटल। आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
तिल (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान अनुरूप **प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 300/– प्रति क्वि.** (रॉ–उत्पादन))। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 300/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
मूँगफली (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :15 दिसम्बर से 15 जनवरी, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान **अनुरूप प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)।** 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
सोयाबीन (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :1 से 31 दिसम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान अनुरूप **प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)।** 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
धान (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** : 1 से 30 नवम्बर, **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत, **प्रीमियमः** रूपये 200/– प्रति क्विंटल, सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
कपास देशी एवं अमेरिकन कपास (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** : 7 दिसम्बर से 7 जनवरी। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियम** : मण्डी की आदर्श दरों के औसत का 12 प्रतिशत। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रू. 100/– प्रति क्विं. अतिरिक्त देय।
कपास संकर किस्म (प्रमाणित बीज) व नर व मादा आधार बीज	: हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा घोषित क्रय दरों के समान क्रय दर का निर्धारण किया जावेगा। **विशेष** : इसमें आवश्यक होने पर प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।
गेहूँ (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** : श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, श्रीकरणपुर व हनुमानगढ़ इकाई के लिए 15 मई से 15 जून व अन्य इकाईयों के लिए 15 अप्रेल से 15 मई। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 200/– प्रति क्विंटल। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 150/– प्रति क्विंटल देय। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
जौ (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** : श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, श्रीकरणपुर व हनुमानगढ़ इकाई के लिए 15 मई से 15 जून व अन्य इकाईयों के लिए 15 अप्रेल से 15 मई। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 200/– प्रति क्विंटल। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 150/– प्रति क्विंटल देय। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
चना (प्रमाणित व आधार बीज)	: **मण्डी अवधि** :15 अप्रैल से 15 मई। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दर (मॉडल प्राइस) का औसत, **प्रीमियम** : 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर **अनुदान अनुरूप प्रीमियम राशि देय। (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति**

क्वि.)। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

मसूर (प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि** :15 अप्रैल से 15 मई। **मण्डी दर** : मण्डी की दैनिक आदर्श दर (मॉडल प्राइस) का औसत। **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर **अनुदान अनुरूप प्रीमियम राशि देय।** (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

सरसों/तारामीरा (प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि** :15 अप्रैल से 15 मई। **मण्डी दर** : सम्बन्धित मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियमः** 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर अनुदान **अनुरूप प्रीमियम राशि देय।** (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु रूपये 500/– प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

अलसी (प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि :15 अप्रैल से 15 मई। मण्डी दर** : सम्बन्धित मण्डी की दैनिक आदर्श दरों का औसत। प्रीमियमः 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर कृषि विभाग से योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन मात्रा पर रूपये 1875/– प्रति क्विंटल (न्यूनतम राशि रूपये 500/– प्रति क्वि.)। 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर 500/– रू. प्रति क्विंटल। सभी किस्मों के आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– रू. प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

धनिया/मैथी (प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि व मण्डी दर** :सम्बन्धित मण्डी की 15 अप्रैल से 15 मई की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियमः** रूपये 500/– प्रति क्विंटल, आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

सौंफ व जीरा (प्रमाणित व आधार बीज) :
(1) **सौंफ :– मण्डी अवधि व मण्डी दर** : बिलाड़ा मण्डी की 15 अप्रैल से 15 मई की दैनिक आदर्श दरों का औसत। प्रीमियमः रूपये 300/– प्रति क्विंटल, आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।
(2) **जीरा :– मण्डी अवधि व मण्डी दर** : जोधपुर मण्डी की 15 अप्रैल से 15 मई की दैनिक आदर्श दरों का औसत। प्रीमियमः मण्डी दर का 15 प्रतिशत अधिक देय, आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/–प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

ईसबगोल (प्रमाणित व आधार बीज) : **मण्डी अवधि व मण्डी दर** : जोधपुर मण्डी की 15 अप्रैल से 15 मई तक की दैनिक आदर्श दरों का औसत। **प्रीमियमः** दैनिक आदर्श दरों के औसत पर रूपये 1000/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय, आधार बीज उत्पादन पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

जई (प्रमाणित व आधार बीज) : आर.सी.डी.एफ द्वारा निर्धारित क्रय दर। आधार बीज पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

बरसीम (प्रमाणित व आधार बीज) : आर.सी.डी.एफ/राष्ट्रीय बीज निगम/मध्यप्रदेश राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित क्रय दर, जो भी अधिक हो, के समान क्रय दर। आधार बीज पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

रिजका (प्रमाणित व आधार बीज) : गुजरात राज्य बीज निगम अथवा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित क्रय दर, जो भी अधिक हो, के समान क्रय दर। आधार बीज पर रूपये 100/– प्रति क्विंटल अतिरिक्त देय।

ढ़ैंचा बीज (प्रमाणित/सत्यचिन्हित) : रॉ बीज आधार पर क्रय किया जावेगा। मण्डी अवधि :1 से 31 दिसम्बर, क्रय दर का निर्धारण स्थानीय मण्डी के भाव पर रू. 150/– प्रीमियम जोड़ते हुए किया जावेगा।

सब्जी बीज (सत्यचिन्हित/प्रमाणित/आधार बीज) : सब्जी बीजों की क्रय दर का निर्धारण रॉ बीज आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित की गई क्रय दर के समान किया जायेगा।

मिर्च व अरण्डी (प्रमाणित व आधार बीज) : स्थानीय बाजार भाव को देखते हुए प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया है।

रॉ सीड जमा कराने की अंतिम दिनांक

1.	**जायद फसलें –**	– 20 जून
2.	**रबी फसलें –**	
	(क) सरसों, चना, मटर, मैथी, मसूर एवं अन्य फसलें	– 08 मई
	(ख) गेंहूँ, जौ, जई एवं लहसून	– 31 मई
3.	**खरीफ फसलें –**	
	(क) कपास, अरहर, मूँगफली, चावल एवं मक्का	– 7 जनवरी
	(ख) अरण्डी	– 10 अप्रैल
	(ग) सोयाबीन एवं अन्य फसलें	– 31 दिसम्बर

अन्य विवरण

1. **अनुबन्ध का आधार** :– बीज उत्पादकों से अनुबन्ध रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर नहीं किया जाकर निर्धारित प्रारूप में मात्र सादे कागज पर किया जावेगा।

2. **अनुसूचित जाति/जनजाति के बीज उत्पादकों का बीज प्रमाणीकरण निरीक्षण शुल्क** :– जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा सीएसआर योजना में उक्त शुल्क भुगतान किया जायेगा।

3. **प्रजनक एवं आधार बीज उधार के सम्बन्ध में** :– किसी भी परिस्थिति में बीज उधार नहीं दिया जावेगा।

4. **आधार बीज उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु प्रजनक बीज का आवंटन** :– जिन बीज उत्पादकों द्वारा लगातार दो बार आधार बीज जमा नहीं करवाया जाता है अथवा उनका बीज अमानक घोषित हो जाता है तो उन्हे प्रजनक बीज नहीं दिया जावेगा।

5 **आधार बीज अमानक पाये जाने पर** :– ग्रो आउट टेस्ट या बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज अमानक पाये जाने पर क्रय नहीं किया जायेगा। किन्तु उक्त अमानक आधार बीज यदि प्रमाणित बीज के मानकों को पूर्ण करता है तो बीज उत्पादक के अनुरोध पर प्रमाणीकरण संस्था की स्वीकृति के पश्चात् प्रमाणित बीज के रूप में क्रय किया जाकर प्रमाणित बीज के समान भुगतान किया जावेगा।

6. **अण्डर साइज व खाली बारदाने को निगम के गोदामों से शीघ्र खाली करवाने, कीट ग्रस्तता एवं मिश्रण रोकने हेतु** :–

(क) अण्डर साइज बीजों का लोडिंग व्यय–बीज उत्पादक द्वारा दिये गये पते पर लिखित सूचना (रजिस्टर्ड ए.डी.) देने के 01 माह के अन्दर उठाने पर निगम द्वारा वहन किया जावेगा अन्यथा नहीं।

(ख) अण्डर साइज बीज को निगम द्वारा कृषक को लिखित सूचना (रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा) प्रेषित करने पर 01 माह के अन्दर उठाना होगा, अन्यथा निगम की इकाई द्वारा बीज उत्पादक को सूचित करते हुए इसकी नीलामी करके प्राप्त राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि सम्बन्धित बीज उत्पादक को डी.डी./ऑन–लाईन/चैक द्वारा प्रेषित कर दी जावेगी।

(ग) कृषक द्वारा स्वयं का बारदाना, लिखित सूचना देने के 01 माह में उठाना होगा अन्यथा जब्त कर लिया जावेगा।

7. **लश्चर इफैक्टेड बीज का क्रय** :– चमकरहित/कान्तिविहीन बीज का क्रय निदेशक कृषि के आदेश क्रमांक एफ–24(139)डी.ए.जी./2001–02/ग्रुप–6/2311–73 दिनांक 30.04.2001 के द्वारा निर्धारित कमेटी की जाँच रिपोर्ट अनुसार किया जावेगा। कमेटी में सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबंधक/संयंत्र प्रबंधक,

सम्बंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) व सम्बंधित इकाई का उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सदस्य होंगे, ताकि बाजार में निगम द्वारा उत्पादित बीज की साख एवं गुणवत्ता बनी रहे।

8. **<u>निगम द्वारा वितरित बीज में बुवाई के पश्चात् कम अंकुरण या मिश्रण होने की शिकायत प्राप्त होने पर</u>** :– बीज में किसी भी तरह की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा निदेशक कृषि, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.24(11) आ.कृ./09–10/2688–2846 दिनांक 23.06.2009 एवं निगम मुख्यालय के आदेश क्रमांक 19918–38 दिनांक 06.02.2012 तथा निगम एस.ओ.पी. क्रमांक 32654–87 दिनांक 17.02.2021 द्वारा निर्धारित कमेटी से जाँच करवाकर रिपोर्ट मुख्यालय को 15 दिन में प्रस्तुत की जावेगी। कमेटी में सम्बंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), सम्बंधित कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बंधित विषय विशेषज्ञ, जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के सम्बंधित विषय के वैज्ञानिक, सम्बंधित क्षेत्रीय/सयंत्र प्रबंधक, खण्डीय कार्यालय का अधिकारी (कृषि अनुसंधान अधिकारी या ऊपरी स्तर) सदस्य होंगे।

9. **<u>दोषी (चूक कर्ता) बीज उत्पादकों को काली सूचीबद्ध करना</u>** :– बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बीज उत्पादकों द्वारा निम्नाकिंत चूक करने पर काली सूचीबद्ध किया जावेगा तथा उन्हे भविष्य में बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं दिया जावेगा–
   (क) बीज उत्पादन कार्यक्रम का रॉ बीज नहीं लौटाने पर।
   (ख) बीज उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादित बीज की जगह अन्य बीज जमा करवाने के प्रमाण पाये जाने पर।
   (ग) बीज क्षेत्र में अवांछित पौधों के अत्यधिक मिश्रण पाये जाने या बीज प्रमाणीकरण के तहत लिये गए नमूनों के लगातार दो बार अमानक पाये जाने पर।
   (घ) बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्य को सबलैट करने पर।

10. **<u>रॉ बीज की गुणवत्ता सही नहीं होने पर</u>** :– रॉ बीज क्रय नहीं किया जायेगा।

11. **<u>बीज उत्पादक से आनुवांशिक शुद्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना</u>** :– रॉ बीज प्राप्त करते समय बीज उत्पादक कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि उसके द्वारा जमा कराये गये बीज में किसी अन्य किस्म का मिश्रण नहीं है व आनुवांशिक शुद्धता के सम्बंध में प्राप्त होने वाली शिकायत के लिए वह उत्तरदायी होगा।

12. **<u>अग्रिम भुगतान</u>** :– बीज प्राप्ति के समय बाजार भाव/न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो, का सामान्यतः 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान देय होगा। रॉ बीज की भौतिक शुद्धता कम होने पर अग्रिम भुगतान 80 प्रतिशत से कम भी किया जा सकेगा।

13. **दलहनी/तिलहनी/न्युट्रिसिरियल फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की प्रमाणित किस्मों के उत्पादन का आनुपातिक भुगतान** :– दलहनी/तिलहनी/न्युट्रिसिरियल फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की प्रमाणित किस्मों के भारत सरकार/कृषि विभाग से आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक उत्पादन पर भारत सरकार/कृषि विभाग द्वारा देय प्रीमियम दिया जावेगा तथा भारत सरकार/कृषि विभाग के अनुदान का सभी कृषकों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक उत्पादक कृषक को भुगतान आनुपातिक रूप से (आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक एवं राज्य की मांग अनुसार लक्ष्यों से अधिक उत्पादन के अनुपात मे) तथा फसलवार क्रय नीति के अनुसार किया जायेगा।

14. दलहनी एवं तिलहन फसलों के आधार बीज का क्रय मूल्य निर्धारणः–

दलहनी एवं तिलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन का क्रय मूल्य लक्ष्यों से अधिक उत्पादन की स्थिति में आनुपातिक रूप से निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। प्रमाणित बीज की कुल मात्रा पर जारी किये गये अनुदान (प्रीमियम) का औसत निकाला जाकर प्रमाणित बीज पर दिये गये औसत अनुदान तथा वर्तमान क्रय नीति अनुसार राशि रूपये 100/– क्विं. अतिरिक्त अनुदान जोड़कर आधार बीज की क्रय दर निर्धारित की जावेगी।

15. **क्रय दर निर्धारण हेतु विभिन्न फसलों की मण्डी दरों के सम्बन्ध में :–**

(1) विभिन्न इकाईयों के लिये निर्धारित मण्डी के मण्डी सचिव से निर्धारित अवधि की आदर्श मण्डी दरें प्राप्त कर औसत आदर्श दर अनुसार प्रस्ताव तैयार किये जायेगें।

(2) निर्धारित मण्डी में कम से कम 07 दिन की दरें होना आवश्यक होंगी।

(3) केवल नीलामी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित मण्डी दरें ही मान्य होंगी।

(4) उक्तानुसार क्रय दर प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय को प्रस्तुत किये जायेगें।

16. **(अ) दैनिक आदर्श दर के औसत से न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक होने की स्थिति में :–** विभिन्न फसलों हेतु यदि संबंधित मण्डी की निर्धारित अवधि की दैनिक आदर्श दर का औसत उस वर्ष हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम आता है, तो क्रय दर का निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य को आधार मान कर किया जावेगा।

17. **क्रय दर प्रस्ताव मुख्यालय अनुमोदनार्थ भिजवाने के सम्बन्ध में:–**

(अ) क्रय दर प्रस्ताव रॉ–सीड जमा कराये जाने की अन्तिम दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में संयंत्र प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय भिजवाये जावे। समय पर नहीं भिजवाने पर संबंधित संयंत्र प्रबन्धक एवं संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(ब) क्रय दर प्रस्ताव की गणना प्रपत्र पर संबंधित इकाई के क्षेत्रीय प्रबन्धक, संयंत्र प्रबन्धक, बीज अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। सक्षम स्तर से जांच उपरान्त मुख्यालय भिजवाना आवश्यक है।

18. **बीज उत्पादन क्षेत्र** :– सभी श्रेणी (प्रमाणित व आधार वर्ग) के बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्राथमिकता से सघन क्षेत्र (दलहनी फसलों, अनाज फसलों यथा जौ, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान हेतु न्यूनतम 10 हैक्टर एवं तिलहनी फसलों के लिए न्यूनतम 5 हैक्टर) में आयोजित किये जायेंगे। सघन क्षेत्र का अभिप्राय, 1 गांव या 2–3 गांवों का समूह, जिनकी भूमि आपस में सटी हुई हो, से है।

19. **विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय अनुदान** :– सभी अधिसूचित किस्मों के आधार बीज व प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान का लाभ योजना अनुसार देय होगा। किस्म की अवधि की गणना उसके अधिसूचित होने की दिनांक से की जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्पादन कार्यक्रम देते समय बीज उत्पादक को इकाई द्वारा अवगत कराया जायेगा।

20. **प्रमाणित/सत्यचिन्हित बीजों की जी.ओ.टी.:–** प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता जांचने हेतु आवश्यकता अनुसार जी.ओ.टी. कराया जा सकेगा।

21. **कैरी ओवर सोयाबीन बीज के निस्तारण के संबंध में** :– सोयाबीन आधार/प्रमाणित बीज का कैरी ओवर नही रखा जावे। यदि चालू सीजन में आयोजित किये गये उत्पादन कार्यक्रम से अत्यधिक कम सोयाबीन उत्पादन प्राप्त होने की संभावना हो तो कैरी ओवर बीज को कोल्ड स्टोरेज में मुख्यालय अनुमति उपरान्त भण्डारित किया जा सकेगा तथा उत्पादन कार्यक्रम से अधिशेष आधार बीज, बीज गॉव योजना में उपयोग लेवे।

22. **बाजार भाव बढ़ने पर बीज उत्पादकों को अतिरिक्त बोनस का प्रावधान** :– क्रय नीति अनुसार क्रय दर निर्धारण हेतु मण्डी अवधि के पश्चात् 45 दिवस तक यदि मण्डी की दरों में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है, तो अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त प्रीमियम दिया जावेगा।

23. **सत्य चिन्हित बीज की क्रय दर** :– सब्जी बीजों के अतिरिक्त सभी फसलों के सत्यचिन्हित बीज की क्रय दर का निर्धारण उन फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु देय प्रीमियम का 75 प्रतिशत मण्डी दरों मे जोड़कर किया जायेगा।

24. **अन्य संस्थाओं की क्रय दरें उपलब्ध नहीं होने पर** :– आर.सी.डी.एफ./राष्ट्रीय बीज निगम/अन्य बीज निगम से जई/बरसीम/रिजका की क्रय दरें समय से नहीं मिलने पर पूर्व वर्ष की क्रय दर के आधार पर प्रबंध निदेशक की अनुमति से क्रय दर का निर्धारण किया जावेगा।

25. **क्रय केन्द्र खोले जाने हेतु** :– निगम की इकाई से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर मुख्यालय की अनुमति उपरान्त प्रक्योरमेन्ट सेन्टर खोले जा सकते हैं।

26. **"रॉ" बीज क्रय करने के सम्बंध में** :– विशेष परिस्थितियों में फसल विशेष के उत्पादन को रॉ बीज आधार पर खरीदने के लिए प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति आवश्यक होगी तथा इस संबंध में क्रय दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय/सयंत्र प्रबंधक द्वारा भिजवाये जायेंगे।

27. **बीज उत्पादकों द्वारा अन्य इकाइयों पर रॉ बीज तुलवाने पर** :– बीज उत्पादकों द्वारा जिस इकाई से बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावेगा, उसका भुगतान उसी इकाई की क्रय दरों से किया जायेगा। अन्य इकाई पर बीज तुलवाये जाने की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त कर दी जायेगी।

28. **आधार व प्रजनक बीज की विक्रय दर** :–

(क) आधार बीज :–

(1) निगम के बीज उत्पादक कृषकों के लिए आधार बीज की विक्रय दर का निर्धारण संबंधित फसल/किस्म के प्रमाणित बीज की वास्तविक लागत (व्यापारिक लाभ (ट्रेड डिस्काउन्ट) एवं निगम लाभ को छोडते हुये) पर किया जावेगा।

(2) निगम के बीज उत्पादन कार्यक्रम के अलावा अधिशेष आधार बीज को अन्य संस्थाओं को बीज उत्पादन हेतु आधार बीज का विक्रय प्रमाणित बीज के कुल विक्रय मूल्य (बिना अनुदान घटाये) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर किया जायेगा। कृषि विभाग की योजनाओं में आधार बीज को प्रमाणित बीज की कुल विक्रय दर पर मुख्यालय की अनुमति उपरान्त दिया जा सकेगा।

(ख) प्रजनक बीज :– प्रजनक बीज की विक्रय दर का निर्धारण आधार बीज की विक्रय दर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर किया जावेगा। जिन फसलों/किस्मों के आधार बीज के विक्रय दर उपलब्ध नही होने पर प्रजनक बीज की विक्रय दर का निर्धारण, उसकी क्रय दर के आधार पर किया जावेगा।

29. **क्रय नीति में आकस्मिक परिवर्तन** :– भविष्य में उक्त क्रय नीति के लिए मण्डी, मण्डी समय, अतिरिक्त प्रीमियम एवं अन्य परिवर्तन हेतु प्रबंध निदेशक अधिकृत होंगे।